

Announcement Regarding Moving of Amendments to Bills*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जम्मू-कश्मीर तथा पुडुचेरी में महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में 1 बजे तक अमेंडमेंट्स दिये जा सकते हैं।